दिनांक–18.05.2026 को अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में बाढ़ प्रक्षेत्र के विभिन्न मुख्य अभियंता परिक्षेत्राधीन रू० 50.00 करोड़ से अधिक की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बाढ़ प्रक्षेत्र के विभिन्न मुख्य अभियंता परिक्षेत्राधीन रू० 50.00 करोड़ से अधिक की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः–

(i) सभी मुख्य अभियंता बाढ़ प्रक्षेत्र (VC के माध्यम से) ।
(ii) ई० विवेक गौरव, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना ।
(iii) सभी अधीक्षण अभियंता, बाढ़ प्रक्षेत्र (VC के माध्यम से)।
(iv) ई० अनुराग शर्मा, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–15, पटना ।
(v) ई० अभिनव आनन्द, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–16, पटना ।
(vi) ई० चन्दन कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–17, पटना ।
(vii) ई० मनीष कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–18, पटना ।
(viii) सभी बाढ़ प्रक्षेत्र से संबंधित कार्यपालक अभियंता (VC के माध्यम से) ।

बैठक के दौरान की गयी समीक्षा एवं दिये गये निदेश निम्नवत् हैः–

1. **बागमती बायां तटबंध के कि०मी० 0.00 से 7.27, बायाँ एफलक्स बाँध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 8.04, दायें तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 9.72, दोआब तटबंध के कि०मी० 9.00 से कि०मी० 10.00, बैरगनिया रिंग बाँध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 6.60 का बी०आई०एस० कोड एवं नये एच०एफ०एल० 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य :–**

   - इस कार्य के अन्तर्गत लगभग 32.00 कि.मी. में तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्य कराया जाना है एवं तटबंध के शीर्ष पर लगभग 23.00 कि.मी. में कालीकरण का कार्य कराया जाना है। इस कार्य को 01.02.2027 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है। वर्तमान में कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्रमशः 42.10 एवं 21.92 प्रतिशत प्रतिवेदित है।
   - समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि योजनान्तर्गत मिट्टी कार्य लगभग 16.50 कि.मी. की रीच में पूर्ण किया जा चुका है एवं सुरक्षात्मक कार्य लगभग 18.00 कि.मी. रीच में पूर्ण किया गया है।
   - योजना में वास्तविक रूप से बाधक वृक्षों के पातन के संबंध में निर्गत विभागीय निदेशों के आलोक में कार्रवाई किया जाना अपेक्षित था, परन्तु कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं किया जाना प्रतीत होता है, जिसके संबंध में क्षोभ प्रकट किया गया एवं निदेश दिया गया कि वन विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित कर अविलम्ब अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि वन विभाग से संबंधित मुद्दों की अपने स्तर से समीक्षा करते हुए यथा शीघ्र इसका निष्पादन सुनिश्चित करेंगें।

     (अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी/ कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी)

   - समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से तटबंध का सूक्ष्म निरीक्षण कर योजनान्तर्गत बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को हर हाल में Critical Reaches में आगामी बाढ़ अवधि के पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें।

     (अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

2. **बागमती नदी के दायें तटबंध 15.24 कि०मी० से 79.00 कि०मी०, बायें तटबंध के 7.27 कि०मी० से 81.19 कि०मी०, भरथुआ रिंग बाँध के 0.00 कि०मी० से 2.13 कि०मी० एवं धनौर कटरा रिंग बाँध के 0.00 कि०मी० से 4.70 कि०मी० का बी०आई०एस० कोड एवं नये एच०एफ०एल० 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य :–**

   - इस कार्य के अन्तर्गत लगभग 134.00 कि.मी. में तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य, सुरक्षात्मक कार्य 144.00 कि.मी. में एवं तटबंध के शीर्ष पर लगभग 134.00 कि.मी. में कालीकरण का कार्य कराया जाना है। इस कार्य को 19.09.2027 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है। वर्तमान में कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्रमशः 11.00 एवं 6.26 प्रतिशत प्रतिवेदित है।

- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर द्वारा बताया गया कि वनागार हेतु स्थल चिन्हित करने के उपरान्त प्राक्कलन तैयार कर वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी को पूर्व में उपलब्ध कराया गया था, परन्तु उनके द्वारा वनागार हेतु चिन्हित स्थल पर असहमति दर्ज की गयी। इस संबंध में मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि वन विभाग से संबंधित मुद्दों की अपने स्तर से समीक्षा करते हुए यथा शीघ्र इसका निष्पादन सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर द्वारा बताया गया है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा कहा जा रहा है कि वृक्षों के पातन के पूर्व Arborist से वृक्षों के संबंध में परामर्श प्राप्त कर लिया जाए। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर को निदेश दिया गया है कि जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को स्थिति से अवगत् करायें।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी/ कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर)

- समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से तटबंध सूक्ष्म निरीक्षण कर योजनान्तर्गत बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को हर हाल में Critical Reaches में आगामी बाढ़ अवधि के पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

3. <u>बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–IV(a)</u> :–

- कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर द्वारा बताया गया कि योजना अन्तर्गत असैनिक कार्य की भौतिक प्रगति 97 प्रतिशत है एवं योजना अन्तर्गत लगभग सभी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी/ कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर)

4. <u>बागमती–बूढ़ी गंडक बेलवाधार योजना</u> :–

- इस कार्य को पूर्ण कराने की निर्धारित तिथि 05.05.2025 थी। वर्तमान में कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्रमशः 86.00 एवं 73.05 प्रतिशत है।
- कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर द्वारा बताया गया कि लगभग 68.80 कि.मी. में लिंक चैनल का resectioning कार्य किया जाना है, जिसमें लगभग 4.70 कि.मी. में चैनल रिसेक्सनिंग कार्य का शेष है। उनके द्वारा बताया गया कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध करने के कारण रिसेक्सनिंग का कार्य बाधित है। इस संबंध में निदेश है कि जिला प्रशासन से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर बाधित अवशेष रिसेक्सनिंग को शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी/ कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर)

- साथ ही कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर द्वारा बताया गया कि योजना अन्तर्गत 5 DLR ब्रीज का निर्माण किया जाना है, जिसमें 4 DLR ब्रीज का कार्य अप्रोच पथ सहित पूर्ण कर लिया गया है एवं 1 अदद् ब्रीज के structure का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं अप्रोच पथ का निर्माण किया जाना है। इस संबंध में निदेश दिया गया अवशेष कार्य को अविलम्ब गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप पूर्व कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर)

5. <u>बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–II (विस्तारीकरण)</u> :–

- कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर द्वारा बताया गया है कि लगभग 4.00 कि०मी० तटबंध के निर्माण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष कार्य भू–अर्जन के कारण बाधित है। निदेश दिया गया कि भू–अर्जन की प्रक्रिया में अपेक्षित प्रगति लायी जाय।

(अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर)

6. <u>मसान तटबंध निर्माण एवं संबद्ध कार्य</u> :–

- कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, बेतिया द्वारा बताया गया है कि योजनान्तर्गत तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ ही पूर्व से निर्मित तटबंध पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य भी करा लिया गया है। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, बेतिया को ईखायुक्त के साथ हुई बैठक में दिये गये निदेशों के अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया। साथ ही योजना का पुनरीक्षित विस्तृत योजना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु भी स्मारित किया गया। इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी द्वारा बताया गया है कि एक सप्ताह में पुनरीक्षित विस्तृत योजना प्रतिवेदन समर्पित कर दिया जायेगा। इस संबंध में मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि पुनरीक्षित विस्तृत योजना प्रतिवेदन की समीक्षा CWC के guidelines के अनुरूप करते हुए विभाग को 1 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी/ कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, बेतिया)

7. <u>सिकरहना दायाँ तटबंध निर्माण कार्य (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 56.22)</u> :–

- इस योजना अन्तर्गत सिकरहना दायें तटबंध का निर्माण कार्य कि०मी० 0.00 से कि०मी० 56.22 तक किया जाना है एवं कुल 13 अदद् ए.एफ.एस. का निर्माण कराया जाना है। योजना की समाप्ति की तिथि 27.12.2025 निर्धारित थी। वर्तमान में योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्रमशः 30.50 प्रतिशत एवं 17.65 प्रतिशत प्रतिवेदित की गयी है।
- कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा बताया गया है कि योजनान्तर्गत 13 अदद् AFS के निर्माण के विरूद्ध मात्र 03 अदद् में AFS का कार्य वर्तमान में प्रगति में है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाये जाने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं उन्हें कार्यशैली में सुधार लाने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मोतिहारी /कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी)

8. <u>रातो बाढ़ प्रबंधन योजना</u> :–

- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया है कि योजना का पुनरीक्षित विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है एवं शीघ्र ही समर्पित किया जायेगा। मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया है कि अपने स्तर से योजना का पुनरीक्षित विस्तृत योजना प्रतिवेदन CWC के guidelines के अनुरूप शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी)

9. <u>वैशाली जिलान्तर्गत बरैला झील में पानी लाने एवं अधिक जल स्तर होने पर निकासी किये जाने से संबंधित कार्य</u> :–

- मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि बरैला झील में भू–अर्जन कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि बरैला झील से संबंधित योजना पर विभागीय पृच्छा का अनुपालन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, हाजीपुर)

10. <u>वैशाली एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बाया नदी का गाद उड़ाही कार्य</u> :–

- मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि वैशाली एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बाया नदी का गाद उड़ाही कार्य वैशाली जिलान्तर्गत पूर्ण हो चुका है। मुख्य अभियंता, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत बाया नदी का गाद उड़ाही कार्य प्रगति में है।

अभियंता प्रमुख (बाढ़) द्वारा मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को योजना के शेष भाग को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निदेश दिया गया। साथ ही मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर को उक्त योजना पर पूर्व में निर्गत विभागीय निदेश का मंतव्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/ समस्तीपुर, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, मुजफ्फरपुर/बाढ़ नियंत्रण अंचल, समस्तीपुर/ कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, हाजीपुर/ बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंगसराय)

11. <u>कमला बलान बाँया एवं दाँया तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य (फेज–III)</u> :–

- समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि कार्य की भौतिक प्रगति 89 प्रतिशत है। योजना अन्तर्गत 6 कि0मी0 की लम्बाई में WMM एवं 23.20 कि0मी0 की लम्बाई में कालीकरण कार्य किया जाना शेष है। वर्तमान में WMM का कार्य प्रगति में है। जिसके संबंध में मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को एकरारनामा के अनुसार कार्रवाई करते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु संशोधित वर्क प्रोग्राम समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)

12. <u>बलान एवं जमुआरी नदी का गाद उड़ाही कार्य</u> :–

- समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि कार्य की भौतिक प्रगति 17 प्रतिशत है। योजना अन्तर्गत बलान नदी में 78.70 कि0मी0 में से 11.19 कि0मी0 तथा जमुआरी नदी में 54.06 कि0मी0 में से 10.50 कि0मी0 की लम्बाई में उड़ाही कार्य करा लिया गया है। बलान नदी में जल जमाव के कारण उड़ाही कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। जमुआरी नदी में भू–अर्जन हेतु SIA होने के उपरान्त उड़ाही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। योजना में जमुआरी नदी पर 33 अदद् द्विपथीय सेतु में से 14 अदद् अदद् द्विपथीय सेतु का निर्माण कार्य प्रगति में है। 06 अदद् पुल के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार की बाधा नही है। दो अदद् चेक डैम का निर्माण कार्य प्रगति में है। मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को संवेदक से समन्वय स्थापित कर योजना को समय पर पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर)

13. <u>पुरानी कमला एवं जीवछ कमला का पुनर्जीविकरण कार्य</u> :–

- समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य की भौतिक प्रगति 43 प्रतिशत है। योजना अन्तर्गत 171 कि0मी0 में से 72 कि0मी0 की लम्बाई में उड़ाही कार्य करा लिया गया है। शेष लम्बाई में उड़ाही कार्य समय पर पूर्ण करा लिया जायेगा। हेड रेगूलेटर के निर्माण के क्रम में स्थानीय मिट्टी का Bearing Capacity कम होने के कारण रूपांकण में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। जिसके लिए मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। रूपांकण के संशोधन हेतु मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण को सभी वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, समस्तीपुर/ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण)

14. <u>भागलपुर ज़िलान्तर्गत सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर के समीप गंगा नदी के दायें तट पर पुरानी उत्तरवाहिनी धार में चैनल एवं सीढ़ी घाट निर्माण कार्य</u> :–

- दिनांक 28.02.2026 को माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न Standing Committee of National Board for Wildlife की 89वीं बैठक में विषयक कार्य के WILD LIFE CLEARANCE हेतु NoC निर्गत करने के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ सहमति दी गयी है कि "राज्य सरकार draft notification of Eco-Sensitive Zone of Vikramshila Gangetic Dolphin का notification निर्गत करे"। उक्त के क्रम में CAMPA हेतु राशि 2.99 करोड़ का आवंटन निर्गत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे वित्त विभाग द्वारा राज्य योजना मद के बजट उपबंध पर लगाये गये बंधेज के शिथिलीकरण के उपरांत कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर को उपलब्ध कराया जायेगा।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार)

15. <u>सारण तटबंध के कि०मी० 80.00 से कि०मी० 152.00 एवं संलग्न छरकियों का सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य</u> :–

- वर्क प्रोगाम के अनुसार योजना की भौतिक प्रगति 46 प्रतिशत के विरूद्ध वास्तविक भौतिक प्रगति मात्र 20 प्रतिशत है। इस संदर्भ में मुख्य अभियंता, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में मिट्टी/बालू की उपलब्धता में कठिनाई होने के कारण योजना की भौतिक प्रगति लक्ष्य से कम है। साथ ही मुख्य अभियंता, गोपालगंज द्वारा सूचित किया गया है कि जिला प्रशासन के स्तर से मिट्टी/बालू ढुलाई हेतु वांछित अनुमति प्राप्त हो चुकी है एवं वर्तमान में कार्य में कोई बाधा नहीं है।

समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, गोपालगंज द्वारा आश्वस्त किया गया कि योजना अंतर्गत सभी सुरक्षात्मक कार्य 15 जून 2026 से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।

कार्य हेतु वांछित संसाधन यथा मशीनरी, श्रमबल/सामग्री की वांछित मात्रा में कार्य स्थल पर उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य में समानुपातिक प्रगति लाने एवं कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एंव जल निस्सरण, गोपालगंज)

16. <u>सारण तटबंध के कि०मी० 40.00 से कि०मी० 80.00 के बीच चौड़ीकरण एवं सड़क निर्माण कार्य</u> :–

- वर्क प्रोगाम के अनुसार योजना की भौतिक प्रगति 88 प्रतिशत के विरूद्ध वास्तविक भौतिक प्रगति मात्र 62 प्रतिशत है। मुख्य अभियंता, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कार्य में कोई बाधा नहीं है एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा।

कार्य हेतु वांछित संसाधन यथा मशीनरी, श्रमबल/सामग्री की वांछित मात्रा में कार्य स्थल पर उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य में समानुपातिक प्रगति लाने एवं कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एंव जल निस्सरण, गोपालगंज)

17. <u>हसनपुर–बनिया से सगुनी के बीच 8.330 कि०मी० की लम्बाई में नए तटबंध एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य</u> :–

- योजना को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 15.05.2025 थी। लगभग 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है एवं कार्य की वर्तमान भौतिक प्रगति 86.70 प्रतिशत है।

समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कार्य को पूर्ण करने हेतु लगभग 300 मी० की लम्बाई में भू–अर्जन की आवश्यकता है। भू–अर्जन कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण योजना विलंबित है। उक्त स्थित पर क्षोभ व्यक्त किया गया है। जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर भू–अर्जन हेतु वांछित सभी कार्रवाई शीध्रताशीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही विभागीय स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित होने के स्थिति में तदनुसार आवश्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु भी निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एंव जल निस्सरण, गोपालगंज)

18. <u>गंडक–अकाली नाला (छाड़ी)– गंडकी–माही– गंगा नदी जोड़ योजना</u> :–

- योजना को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 08.01.2025 थी। लगभग 15 माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है एवं कार्य की वर्तमान भौतिक प्रगति 96 प्रतिशत है।

योजना की प्रगति में बाधक बन रहे कारणों (यदि कोई) की सम्यक समीक्षा कर तदनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्य को शीध्रताशीध्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। विभागीय स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित होने के स्थिति में तदनुसार आवश्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु भी निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एंव जल निस्सरण, गोपालगंज)

19. <u>बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि.मी. 51.72 के बीच तटबंध का सुदृढ़ीकरण, कालीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्य</u> :–

- योजना अन्तर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य 24.44 कि०मी०, सुरक्षात्मक कार्य 18.22 कि०मी० एवं कालीकरण कार्य 27.80 कि०मी० में प्रस्तावित है, के सापेक्ष्य में क्रमशः 10.00 कि०मी०, 06.50 कि०मी० एवं 05.50 कि०मी० में कार्य कराया गया है। वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति 33.50 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 26.34 प्रतिशत है। कार्य समाप्ति की तिथि 14.11.2026 निर्धारित है।

- समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य के संबंध में वर्तमान में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, परन्तु माह फरवरी 2026 से संवेदक द्वारा कार्य में वांछित भौतिक प्रगति नहीं लायी जा रही है। जिसके संबंध में निदेश दिया गया कि कार्य हेतु वांछित संसाधन यथा मशीनरी, श्रमबल, सामग्री की वांछित मात्रा में कार्यस्थल पर उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कार्य में समानुपातिक प्रगति लाने एवं कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना)

- समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता, पटना को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से समीक्षा करते हुए योजनान्तर्गत मिट्टी कार्य एवं प्रावधानों के अनुसार Critical Reaches में सुरक्षात्मक कार्यों को हर हाल में 30.06.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें।
- साथ ही निदेश दिया गया कि तटबंध के शीर्ष पर यथासंभव जी.एस.बी. का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे बाढ़ अवधि में तटबंध को मोटरेबल रखा जा सके।

(अनुपालनः–मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना)

26/05/2026
(वरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक–बाढ़(मो०)सिं०वि०–34 / 2025 2220 /पटना, दिनांक–27-05-2026

प्रतिलिपिः–सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/05/2026
(वरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक–बाढ़(मो०)सिं०वि०–34 / 2025 2220 /पटना, दिनांक–27-05-2026

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना / मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर / समस्तीपुर / गोपालगंज / कटिहार / पटना / वीरपुर, अधीक्षण अभियंता,योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, पटना / संबंधित क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता / संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी मुख्य अभियंता अपने स्तर से संबंधित संवेदकों को बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

26/05/2026
(वरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक–बाढ़(मो०)सिं०वि०–34 / 2025 2220 /पटना, दिनांक–27-05-2026

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, आई.टी., जल संसाधन विभाग को बैठक की कार्यवाही विभागीय बेवसाईट में अपलोड किये जाने हेतु निदेशित।

26/05/2026
(वरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)